

संख्या-02/01/2020-पब्लिक (पार्ट-III)

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
(पब्लिक अनुभाग)

\*\*\*


नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 1  
दिनांक: 30, दिसम्बर, 2021

आदेश

**विषय:** भारतीय झंडा संहिता, 2002 में संशोधन के सम्बन्ध में ।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग, संप्रदर्शन, ध्वजारोहण राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित होता है, जो इस मंत्रालय की वेबसाइट [www.mha.gov.in](http://www.mha.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से, भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-1 के पैरा 1.2 को संशोधित किया गया है, जिसे निम्नवत पढ़ा जाये :-

**“1.2 भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से काते गए और हाथ से बने हुए या मशीन द्वारा निर्मित, सूती/पॉलिएस्टर/ऊनी/सिल्क/खादी के कपडे से बनाया गया हो”।**



(विजय कुमार)


उप सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष: 2309 3101

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/  
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,  
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

प्रति प्रेषित :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।



(विजय कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष: 2309 3101